मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 6 सितंबर 2025

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	विनियमन	1-2
II.	वित्तीय बाजार	2
III.	विदेशी मुद्रा	2
IV.	मुद्रा जारीकर्ता	2
V.	सरकार का ऋण प्रबंधक	2-3
VI.	पर्यवेक्षण	3
VII.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
VIII.	सरकार का बैंकर	3-4
IX.	प्रकाशन	4
X.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

सितंबर 2025 रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण माह रहा, जिसमें वित्तीय स्थिरता और विनियामक दक्षता को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। एफएसडीसी उप-समिति की बैठक में प्रमुख समष्टि-आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के पहलों में हो रही प्रगति की समीक्षा की गई। आरबीआई ने विनियामक समीक्षा प्रकोष्ठ (आरआरसी) और विनियमन पर सलाहकार समूह की भी स्थापना की ताकि उद्योग जगत की प्रतिक्रिया को विनियमों की आवधिक समीक्षा में शामिल किया जा सके। राज्य वित्त सचिवों के 35वें सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ- साथ, नकदी प्रबंधन, राज्यों द्वारा बाज़ार उधारी और राजकोषीय समेकन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, नवगठित भुगतान विनियामक बोर्ड ने भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड का स्थान ले लिया है।

एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. विनियमन

एफ़एसडीसी उप-समिति की 32वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक 4 सितंबर 2025 को मुंबई में आयोजित की जिसकी अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की। उप-समिति ने प्रमुख वैश्विक और घरेलू समष्टि-आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उप-समिति ने केवाईसी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और वित्तीय समावेशन के लिए विशेष अभियानों सहित विभिन्न अंतर-विनियामकीय मामलों में प्रगति की समीक्षा की। इसने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) 2025-30 पर भी विचार-विमर्श किया।

उप-समिति ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज और विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों की भी समीक्षा की। इसने अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के आघात-सहनीयता को मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की; तथा वैश्विक व्यापार अनिश्चितता और निरंतर भू-राजनीतिक संघर्ष से उभरते जोखिमों पर कड़ी नजर रखने की बात कही। बैठक में वित्तीय क्षेत्र प्रमुख विनियामकों के प्रमुख और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

विनियामक समीक्षा प्रणाली

रिज़र्व बैंक ने 17 सितंबर 2025 को विनियमन विभाग में एक विनियामक समीक्षा कक्ष (आरआरसी) की स्थापना की घोषणा की, जो 1 अक्तूबर 2025 से प्रभावी होगा, ताकि प्रत्येक 5 से 7 वर्षों में सभी विनियमों की व्यवस्थित आंतरिक समीक्षा को संस्थागत रूप दिया जा सके। हितधारकों की सहभागिता बढ़ाने और उद्योग विशेषज्ञता को शामिल करने के लिए, आरआरसी को सहयोग देने हेतु बाहरी विशेषज्ञों वाला एक विनियमन सलाहकार समूह (एजीआर) भी गठित किया गया है। श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह (प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक) की अध्यक्षता वाले एजीआर में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं और इसका कार्यकाल तीन वर्ष का है, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। समीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए समूह आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य वित्त सचिवों के 35वें सम्मेलन का आयोजन

रिज़र्व बैंक द्वारा राज्यों के वित्त सचिवों का 35वाँ सम्मेलन 18 सितंबर 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसका विषय था "राजकोषीय समेकन के मार्ग से आर्थिक समृद्धि की ओर यात्रा"। इस सम्मेलन का उद्घाटन गवर्नर,भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया तथा इसमें सचिव, व्यय विभाग, 28 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों के वित्त सचिवों, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गवर्नर ने राजकोषीय अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण व्यय करने और बजट से इतर उधारी में विवेकपूर्णता के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और एकीकृत ऋण इंटरफेस जैसे क्षेत्रों में राज्यों और रिज़र्व बैंक के बीच सक्रिय समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, नकदी प्रबंधन, राज्यों द्वारा बाज़ार उधारी और राजकोषीय समेकन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2025 को आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की अनुशंसा और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढाँचे को अंतिम रूप देने की घोषणा की। एकदिवसीय भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बना रहेगा। मौजूदा सममित कॉरिडोर प्रणाली को बरकरार रखा गया है, जिसमें नीतिगत रेपो दर को कॉरिडोर के मध्य में रखा गया है और एसडीएफ तथा एमएसएफ कॉरिडोर की निचली सीमा (फ्लोर) और ऊपरी सीमा (सीलिंग) के रूप में कार्य करेगी। रिज़र्व बैंक का लक्ष्य इष्टतम प्रणालीगत चलनिधि प्रबंधन के माध्यम से डब्ल्यूएसीआर को रेपो दर के अनुरूप बनाना है। 14-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो/ प्रतिवर्ती रेपो परिचालन अब चलनिधि के मुख्य उपकरण नहीं रहेंगे और उनकी जगह 7-दिवसीय और अन्य लघु अवधि के वीआरआर/ वीआरआरआर परिचालन ले लेंगे।

श्री शिरीश चंद्र मुर्मू को उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में नियुक्त किया गया

भारत सरकार ने 30 सितंबर 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 के उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शिरीश चंद्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक को 9 अक्तूबर 2025 या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है।

तत्काल स्थितियों को छोड़कर, चलनिधि संबंधी परिचालन के लिए अग्रिम सूचना दी जाएगी। ओएमओ, दीर्घकालिक वीआरआर/वीआरआरआर और विदेशी मुद्रा स्वैप जैसे मौजूदा लिखत जारी रहेंगे, जबकि दैनिक आधार पर निर्धारित सीआरआर का न्यूनतम 90 प्रतिशत बनाए रखने की वर्तमान आवश्यकता जारी रहेगी। एकल प्राथमिक व्यापारियों को चलनिधि संबंधी सभी सुविधाओं तक पहुँच बनी रहेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 'त्वरित भुगतान सुविधा योजना - निष्क्रिय खाते और अदावी जमाराशियाँ' की शुरुआत की

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2025 को 'त्वरित भुगतान सुविधा योजना - निष्क्रिय खाते और अदावी जमाराशियाँ' की घोषणा की। यह योजना ग्राहकों को अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंकों से अपनी दावा न की गई जमाराशियाँ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चल रहे जन जागरूकता प्रयासों का एक हिस्सा है। दावा न की गई जमाराशियों के मौजूदा स्टॉक को कम करने और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि में नई वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से, यह योजना बैंकों को ग्राहकों और जमाकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. वित्तीय बाजार

आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश) निदेश, 2025 जारी किए

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश) निदेश, 2025 जारी किए, जिनमें नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित साझा सेवा इकाई (एसएसई) की पूंजी में एसटीसीबी और सीसीबी द्वारा निवेश को सुगम बनाने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। अप्रैल 2025 में विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, ये निदेश अब एसएसई पूंजी को एक अनुमेय गैर-एसएलआर लिखत के रूप में वर्गीकृत करते हैं, ऐसे निवेशों को विवेकपूर्ण सीमाओं से मुक्त करते हैं और एक समग्र एक्सपोजर सीमा निर्दिष्ट करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

अक्तूबर 2025 – मार्च 2026 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (1 अक्तूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए सॉवरेन हरित बॉन्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर जारी किया। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी प्रतिभूति बाजार को स्थिरता प्रदान करना और संस्थागत एवं खुदरा निवेशकों को अपने निवेश की अधिक कुशलता से योजना बनाने में मदद करना है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एफ़एक्स वैश्विक संहिता के प्रति अपने प्रतिबद्धता वक्तव्य का नवीनीकरण किया

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2025 को विदेशी एफ़एक्स वैश्विक संहिता के प्रति अपनी नवीनीकृत प्रतिबद्धता वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में अच्छे व्यवहार के वैश्विक सिद्धांतों के पालन की पुष्टि हुई। केंद्रीय बैंकों और बाजार सहभागियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और 2017 में पहली बार प्रकाशित इस संहिता का उद्देश्य थोक एफ़एक्स बाजार की अखंडता और प्रभावी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है। इसका संरक्षण और अद्यतन वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति (जीएफ़एक्ससी) द्वारा किया जाता है, जिसने पिछली बार दिसंबर 2024 में इस संहिता को संशोधित किया था। रिज़र्व बैंक इस संहिता के सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. मुद्रा जारीकर्ता

बैंक नोटों के लिए माइक्रोसाइट का लोकार्पण

जन सामान्य को भारतीय बैंक नोटों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 सितंबर 2025 को एक नई माइक्रोसाइट — https://indiancurrency.rbi.org.in — का लोकार्पण किया। पहले की वेबसाइट "पैसा बोलता है" की जगह, यह नया प्लेटफ़ॉर्म बैंक नोटों के 360-डिग्री दृश्य, डिज़ाइन और सुरक्षा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी, वीडियो और एनिमेशन सहित मल्टीमीडिया सामग्री और आकर्षक गेम के साथ एक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करता है। इसमें बैंक नोटों के आदान-प्रदान पर एक समर्पित खंड भी शामिल है, जिसका उद्देश्य जन जागरूकता और पहुँच को बढ़ाना है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों वापस लेने संबंधी स्थिति जारी की। आँकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक प्रचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹5,884 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक प्रचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का 98.35 प्रतिशत वापस आ चुका है। ₹2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

V. सरकार का ऋण प्रबंधक

भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 पर ब्याज दर

रिज़र्व बैंक ने 19 सितंबर 2025 को घोषणा की कि 22 सितंबर 2025 से 21 मार्च 2026 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 6.82 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह दर, निर्धारण

भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2025 को, वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 3 में संशोधनों के कार्यान्वयन के बाद, भुगतान विनियामक बोर्ड के गठन की घोषणा की। ये प्रावधान 6 मई 2025 को वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 9 मई 2025 को प्रभावी हुए। पूर्ववर्ती बीपीएसएस की जगह, बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत किया गया है और इसकी अध्यक्षता गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक करते हैं। अन्य सदस्यों में भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, आईएएस (सेवानिवृत्त) शामिल हैं। आरबीआई के प्रधान विधि परामर्शदाता बोर्ड की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

तिथि से पहले 182-दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों के भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) के औसत और 1.22% के निश्चित स्प्रेड पर आधारित है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. पर्यवेक्षण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2025 को जून 2025 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) जारी किया। यह विवरणियाँ प्रस्तुत करने में सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और निरंतरता के संदर्भ में डेटा गुणवत्ता को मापता है। एसडीक्यूआई का उद्देश्य, पर्यवेक्षी विवरणियाँ प्रस्तुत करने संबंधी मास्टर निदेश 2024 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन का आकलन करना है।

VII. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

सीआईएमएस में प्रस्तुति

रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2025 को अपने अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग विवरणी (R065) और मोबाइल बैंकिंग विवरणी (R102) के लिए रिपोर्टिंग शुरू करने की घोषणा की। रिपोर्टिंग संस्थाओं को अगस्त 2025 की रिपोर्टिंग अवधि से सीआईएमएस पोर्टल (https://cims.rbi.org.in/#/login) के माध्यम से मासिक आधार पर ये विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रणाली में एडमिन उपयोगकर्ता पहले ही बनाए जा चुके हैं और वे नामित विवरणी प्रस्तुत करने वालों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। मौजूदा मानदंडों के अनुसार, विवरणी अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, अगस्त डेटा के लिए 7 सितंबर 2025 तक)। यह निदेश संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत जारी किया गया है और अननुपालन दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के विनियमन पर मास्टर निदेश

रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2025 को विभिन्न श्रेणियों के भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के विनियमन के लिए एक व्यापक मास्टर निदेश जारी किया, जिसमें 17 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 अक्तूबर 2023 के परिपत्रों के माध्यम से जारी पूर्व दिशानिर्देशों को समेकित और युक्तिसंगत बनाया गया, जिसमें ऑनलाइन और सीमा- पार पीए गतिविधियाँ शामिल हैं। भौतिक बिक्री केंद्रों पर पीए के विनियमन पर निदेश का मसौदा और मौजूदा पीए दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधन 16 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर और विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के अपने उद्देश्य के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत यह मास्टर निदेश जारी किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन तंत्र पर निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन तंत्र) निदेश, 2025 जारी किए, जिनका उद्देश्य डिजिटल भुगतान सुरक्षा को मज़बूत करना है। पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों के मसौदा पर जनता की प्रतिक्रिया को शामिल करते हुए, ये निदेश एसएमएस-आधारित ओटीपी को बंद किए बिना उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नए प्रमाणीकरण कारकों को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं, जारीकर्ताओं को अतिरिक्त जोखिम-आधारित जाँच लागू करने की अनुमति देते हैं, अंतर-परिचालन को बढ़ावा देते हैं और प्रौद्योगिकी तक खुली पहुँच प्रदान करते हैं और जारीकर्ता की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। ये कार्ड जारीकर्ताओं को विदेशी व्यापारियों या अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर गैर-आवर्ती सीमा-पार कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन में प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) को मान्य करने का भी अधिदेश देते हैं। जब तक अन्यथा न कहा जाए, ये निदेश 1 अप्रैल 2026 तक लागू किए जाने हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. सरकार का बैंकर

अक्तूबर 2025 – मार्च 2026 के लिए भारत सरकार के लिए डब्ल्यूएमए सीमा

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार के परामर्श से घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2025 से मार्च 2026) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा ₹50,000 करोड़ होगी। डब्ल्यूएमए सीमा का 75% उपयोग हो जाने के बाद, रिज़र्व बैंक नए बाज़ार उधार शुरू कर सकता है। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर, बैंक किसी भी समय डब्ल्यूएमए सीमा को संशोधित करने का लचीलापन भी रखता है। लागू ब्याज दर डब्ल्यूएमए के लिए रेपो दर और ओवरड्राफ्ट के लिए रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक होगी।

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार के परामर्श से, दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए खज़ाना बिल के निर्गम का कैलेंडर जारी किया। रिज़र्व बैंक, सरकार की आवश्यकताओं,

उभरती बाज़ार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर, क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रही, जिसका प्रमाण आस्तियों बाज़ार को उचित सूचना देकर, नीलामियों की अधिसूचित राशि और पर मजबूत प्रतिफल, पूंजी पर्याप्तता और आस्ति गुणवत्ता संकेतक हैं। समय को संशोधित करने का लचीलापन रखता है। बीच में पड़ने अनुभवजन्य विश्लेषण से संकेत मिलता है कि मौद्रिक नीति के आवेग वाली छुट्टियों के कारण भी कैलेंडर में परिवर्तन हो सकता है और ऐसे एनबीएफसी की उधारी और ऋण दरों तक तो पहुँचते हैं, लेकिन यह किसी भी संशोधन की सूचना प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से दी संचरण अधूरा है।
जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का सितंबर 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में एक भाषण, सात आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

सात आलेख हैं:

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति: प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अमेरिकी व्यापार प्रशुल्क लगाने और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय स्थिति को लेकर नई चिंताओं के मद्देनजर वैश्विक अनिश्चितता बनी रही। घरेलू कारकों से प्रेरित, 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान पाँच तिमाहियों की उच्च संवृद्धि दर से स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय आघात-सहनीयता प्रदर्शित की है। ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों से कारोबार में आसानी, खुदरा कीमतों में कमी और उपभोग संवृद्धि कारकों में मजबूती के माध्यम से उत्तरोत्तर निरंतर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन लगातार सातवें महीने लक्ष्य दर से काफी नीचे रही। प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में बनी रही, जो नीतिगत दरों में कटौती के प्रभाव- विस्तार को दर्शाती है। अगस्त-सितंबर के दौरान भारतीय इक्विटि बाजारों में द्विदिशात्मक गति देखी गई। मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत विप्रेषण प्राप्तियों के समर्थन से, भारत का चालू खाता घाटा पहली तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ।

II. 2024-25 के दौरान भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह: यह आलेख 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह का विश्लेषण करता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि जबकि गैर-खाद्य बैंक ऋण में कमी आई है—मुख्यतः रिज़र्व बैंक द्वारा बेज़मानती ऋण पर बढ़ाए गए जोखिम भार से प्रभावित क्षेत्रों में मंदी के कारण—लेकिन इक्विटी निर्गमों, एनबीएफसी ऋण और अल्पकालिक बाह्य ऋण जैसे गैर-बैंक स्रोतों से निधीयन में वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई। इक्विटी निधीयन में वृद्धि को एक उत्साही घरेलू द्वितीयक बाजार का समर्थन प्राप्त था और अल्पकालिक बाह्य ऋण में वृद्धि ने पण्य आयात में सुधार को प्रतिबिंबित किया। परिणामस्वरूप, मार्च 2025 के अंत तक बैंक और गैर-बैंक दोनों स्रोतों से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया ऋण में वृद्धि हुई।

III. फिनटेक ग्राहकों के अनुभव की अनकही कहानी: लगभग 5.69 मिलियन फिनटेक ऐप समीक्षाओं के विश्लेषण के आधार पर, इस अध्ययन में पाया गया है कि भारत के फिनटेक पारितंत्र में उपयोगकर्ता अनुभव काफी हद तक सकारात्मक है, और सभी क्षेत्रों में विश्वास और खुशी की भावना व्याप्त है। तथापि, ग्राहकों की प्रमुख चिंताओं में ग्राहक सहायता और सेवा, ऐप की कार्यक्षमता और तकनीकी गड़बड़ियाँ, और ऋण संबंधी मामले जैसे आवेदन प्रक्रिया, क्रेडिट सीमा और क्रेडिट स्कोर शामिल हैं। सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव बाज़ार हिस्सेदारी, प्रमुख ऐप अपडेट और डेटा गोपनीयता नीतियों जैसे कारकों से काफी प्रभावित होता है।

IV. एनबीएफसी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा: यह आलेख भारत के गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र को वैश्विक संदर्भ में रखता है और पर्यवेक्षी आंकड़ों का उपयोग करके 2024-25 की तीसरी तिमाही तक एनबीएफसी के कार्य-निष्पादन का आकलन करता है। ऋण मध्यस्थता में, विशेष रूप से औद्योगिक और खुदरा क्षेत्रों में, उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हुए, एनबीएफसी के जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात में वृद्धि देखी गई है। दिसंबर 2024 के अंत तक, इस

V. नकदी मांग पर यूपीआई का प्रभाव - राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर से साक्ष्य: यह आलेख पूरे भारत में नकदी की मांग पर यूपीआई अपनाने के प्रभाव का विश्लेषण करता है, जिससे पता चलता है कि यूपीआई का विस्तार और मुद्रा वृद्धि में कमी, भुगतान में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देते हैं, लेकिन नकदी बनाम यूपीआई के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ अलग-अलग हैं। अनुभवजन्य निष्कर्ष बताते हैं कि यूपीआई का अधिक उपयोग राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कम नकदी मांग से जुड़ा है, तथापि राज्य-स्तरीय रुझान गैर-रेखीय संबंधों का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च आय और एटीएम घनत्व जैसे कारक अधिक नकदी उपयोग से जुड़े हैं, जबकि कार्यबल का अधिक औपचारिकीकरण और शिक्षा नकदी पर निर्भरता को कम करती है।

VI. क्या उपभोग असमानता घट रही है? – 2022-23 के एनएसएसओ सर्वेक्षण से हमें क्या पता चलता है: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2022-23 और 2011-12 के साथ इसकी तुलना के आधार पर, इस आलेख में व्यय वर्गों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोग असमानता में कमी पाई गई है। यह वास्तविक प्रति व्यक्ति उपभोग में भी मज़बूत अभिसरण दर्शाता है, जहाँ गरीब राज्यों में अमीर राज्यों की तुलना में तेज़ वृद्धि देखी जा रही है। 2022-23 के मूल्यों पर अद्यतन रंगराजन गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए, यह विश्लेषण राज्यों में गरीबी की व्यापकता में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है।

VII. बुनियादी ढांचा - भारत की संवृद्धि एक्सप्रेस का एक इंजन: यह अध्ययन भारत की जीडीपी संवृद्धि पर बुनियादी ढाँचे के सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव की जाँच करता है, और पिछले एक दशक में भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास पर देश के एकीकृत और समावेशी ध्यान को उजागर करता है। विभिन्न बुनियादी ढाँचा सूचकांकों का उपयोग करते हुए, यह बुनियादी ढाँचे की कमियों के समष्टि आर्थिक आकलन और भविष्य की संवृद्धि को बनाए रखने के लिए उपयुक्त वित्तपोषण कार्यनीतियों के विकास द्वारा निर्देशित व्यापक विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

सितंबर 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विषय
1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – सितंबर 2025
2	अगस्त 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
3	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – अगस्त 2025
4	दिनांक 19 सितंबर 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
5	वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
6	अगस्त 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
7	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), जून 2025

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।